



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 सितम्बर 2015—आश्विन 2, शक 1937

न्न विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2015

एफ 30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना एफ 30-08-2002-दस-3 क्रमशः दिनांक 16 मई 2005, 11 अप्रैल 2007 एवं 7 मई 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को, जो नीचे सारणी में दर्शित हैं, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(एक)	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियाँ
(दो)	कैसूरिना	कैसूरिना इविविस्टीफोलिया
(तीन)	पोपलर	पापुलस प्रजातियाँ
(चार)	सुबबूल	ल्यूसिनिया ल्यूकोसिफेला
(पांच)	इजरायली बबूल	एकेशिया टॉरटिलिस
(छह)	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
(सात)	आस्ट्रेलियन बबूल	एकेशिया आॅरिक्लीफारमिस

(1)	(2)	(3)
(आठ)	बवूल	अकेशिया निलोटिका
(नौ)	खमेर	मेलाईना आरबोरिया
(दस)	महारुख	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
(चारह)	कदम्ब	एथोसेफेलस कदम्बा
(बारह)	केसिया साइमिया	केसिया साइमिया
(तेरह)	गुलमोहर	डेलोनिक्स रेजिया
(चौंदह)	जेकरंडा	जेकरंडा माइमोसिफोलिया
(पन्द्रह)	सिल्वर ओक	ग्रेविलिया रोबस्टा
(सोलह)	पाम	पाम प्रजातियाँ
(सत्रह)	वेर	जिजीफस जुजुबा
(अठारह)	शहतूत	मोरस अल्बा
(उन्नीस)	कठहल	आर्टोकार्पस हेट्रोफिल्लस
(बीस)	अमरुद	साइडियम गुआवा
(इक्कीस)	नीम्बू, संतरा, मोसम्बी	सिट्रस प्रजातियाँ
(बाईस)	मुनगा	मोरिंगा ऑलिफेरा
(तेर्वेस)	मौलश्री	माइमूसाप्स एलेन्जाइ
(चौंबीस)	अशोक	पालिएलिथआ लांगीफोलिया, सरका असोका
(पच्चीस)	पुत्रंजीवा	पुत्रंजीवा रैक्सबरगाई
(छब्बीस)	इमली	टैमिरिन्डस इन्डिका
(सत्ताईस)	जामुन	साइजियम क्यूमिनि
(अट्ट्याईस)	आम	मैंजीफेरा इंडिका
(उन्नीस)	सप्तपर्णी	एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस
(तीस)	कैथा	फैरोनिया लिमोनिया
(इकतीस)	जंगल जलेबी	पिथेकोलोबियम डल्से
(बत्तीस)	पेल्टाफोरम	पेल्टाफोरम फेर्लजीनियम
(तैंतीस)	नीम	अजाडिरेक्टा इंडिका
(चौंतीस)	बैकेन	मेलिया अजाडिरे
(पैंतीस)	सिस्यू	डलबर्जिया सिस्यू
(छत्तीस)	करंज	पौंगेमिया पिन्नाटा
(सँतीस)	पलाश	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
(अड़तीस)	सफेद सिरस	अलबिजिया प्रोसेरा
(उनतालीस)	पीपल	फाईक्स रेलिजिओसा
(चालीस)	बरगद	फाईक्स बैंगालेन्सिस

(1)	(2)	(3)
(इकतालीस)	गूलर	फाईक्स ग्लोमेराटा
(बवालीस)	रबर	फाईक्स इलास्टिका
(तीतालीस)	सेमल	बॉम्बेस सीबा
(चबालीस)	कपोक	सीबा षेन्टेन्ड्रा
(पैंतालीस)	चिरोल	होलोएटिलिया इन्टिग्रिफोलिया
(छियालीस)	ग्लैरिसीडिया	ग्लैरिसीडिया प्रजाति
(सैंतालीस)	रिमझा	अकेसिया ल्यूकोफ्लोयिआ
(अड़तालीस)	मीठी नीम	मुराया कोइनीजाई
(उनन्वास)	गुड़हल/जासोन	हिविस्कस रोसा-साइनेसिस
(पवास)	शंकुधारी प्रजातियाँ	शंकुधारी प्रजातियाँ (चीड़, कैल, देवदार तथा पाईन प्रजातियाँ).
(इक्यावन)	बांस	डेन्ड्रोकेलेमस रिक्टस-खण्डवा, चुरहानपुर, वैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी और मंडला जिलों के सिवाय अन्य जिलों में। डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस को छोड़कर अन्य सभी बांस प्रजातियाँ।
(बावन)	बांस की अन्य प्रजातियाँ	
(तिरपन)	आयातित काष्ठ प्रजातियाँ	आयातित काष्ठ की समस्त प्रजातियाँ जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, चाहे वे किन्हीं अन्य नामों से जानी जाती हों।

टिप्पणी.—परन्तु कोई व्यक्ति उसके स्वामित्व ऐसी प्रजातियों की वनोपज हेतु अभिवहन पास की मांग करता है तो अभिवन पास, इस निमित प्राधिकृत, वन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 and in supersession of this department's Notification F-30-8-2002-X-3 respectively dated 16th May 2005, 11th April 2007, 7th May 2012, the State Government, hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules as shown in the table below, namely:—

S. No.	Name of Tree	Name of Species
(1)	(2)	(3)
(i)	Neelgiri	Eucalyptus Species
(ii)	Casuarina	Casuarina Equisetifolia
(iii)	Poplar	Populus Species
(iv)	Subabul	Leucaena Leucocephala
(v)	Israelii Babul	Acacia Tortilis
(vi)	Vilayati Babul	Prosopis Juliflora
(vii)	Australian Babul	Acacia Auriculiformis
(viii)	Babul	Acacia Nilotica
(ix)	Khamer	Gmelina Arborea

(1)	(2)	(3)
(x)	Maharukh	<i>Allanthus Excelsa</i>
(xi)	Kadamb	<i>Anthocephalus Kadamba</i>
(xii)	Cassia Siamea	<i>Cassia Siamea</i>
(xiii)	Gulmohar	<i>Delonix Regia</i>
(xiv)	Jaccaranda	<i>Jaccaranda Mimusifolia</i>
(xv)	Silver Oak	<i>Grevillea Robusta</i>
(xvi)	Palm	Palm Species
(xvii)	Ber	<i>Zizyphus Jujuba</i>
(xviii)	Mulberry	<i>Morus Alba</i>
(xix)	Katahal	<i>Artocarpus Heterophyllus</i>
(xx)	Amrood	<i>Psidium Guava</i>
(xxi)	Nimbu, Santra, Mussambi	Citrus Species
(xxii)	Munga	<i>Moringa Oleifera</i>
(xxiii)	Molshri	<i>Mimusops Elengii</i>
(xxiv)	Ashok	<i>Polyalthia Longifolia, Saraca Asoca</i>
(xxv)	Putranjiva	<i>Putranjiva Roxburghii</i>
(xxvi)	Imli	<i>Tamarindus Indica</i>
(xxvii)	Jamun	<i>Syzygium Cumini</i>
(xxviii)	Mango	<i>Mangifera Indica</i>
(xxix)	Saptparni	<i>Alstonia Scholaris</i>
(xxx)	Kaitha	<i>Feronia Limonia</i>
(xxxi)	Jungle Jalebi	<i>Pithecellobium Dulce</i>
(xxxii)	Peltaphorum	<i>Peltaphorum Ferrugineum</i>
(xxxiii)	Neem	<i>Azadirachta Indica</i>
(xxxiv)	Bakain	<i>Melia Azadirach</i>
(xxxv)	Sissoo	<i>Dalbergia Sissoo</i>
(xxxvi)	Karanj	<i>Pongamia Pinnata</i>
(xxxvii)	Palash	<i>Butea Monosperma</i>
(xxxviii)	Safed Sirus	<i>Albizzea Procera</i>
(xxxix)	Pipal	<i>Ficus Religiosa</i>
(xl)	Bargad	<i>Ficus Bengalensis</i>
(xli)	Gular	<i>Ficus Glomerata</i>
(xlii)	Rubber	<i>Ficus Elastica</i>
(xliii)	Semal	<i>Bombax Ceiba</i>
(xliv)	Kapok	<i>Ceiba Pentandra</i>
(xlv)	Chirol	<i>Holoptelia Integrifolia</i>
(xlvi)	Gliricidea	<i>Gliricidea Species</i>
(xlvii)	Rimjha	<i>Acacia Leucophloea</i>
(xlviii)	Mithi Neem	<i>Murraya Koenigii</i>
(xlix)	Gurhal, Jasoun	<i>Hibiscus Rosa-sinensis</i>

(1)	(2)	(3)
(i)	Conifers	Coniferous Species (Chir, Kail, Deodar and Pine Species).
(ii)	Bamboo	Dendrocalamus Strictus In all districts except in districts of Khandwa, Burhanpur, Betul, Chhindwara, Balaghat, Seoni, Shahdol, Umaria, Jabalpur, Katni and Mandla.
(iii)	Other Bamboo Species	All Species of Bamboo other than Dendrocalamus Strictus.
(iv)	Imported Timber Species.	All other Species of Imported Timber which or not found in Madhya Pradesh, even if they are known by some other names.

Note.—If any person demands transit pass for Forest produce of such species, owned by him, it shall be issued by a Forest Officer, authorised in this behalf.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[मांक 230]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 जून 2016—ज्येष्ठ 12, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परंतुके खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (एक) अनुक्रमांक (उनतालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,
(दो) अनुक्रमांक (चालीस) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

भोपाल, दिनांक 2 जून 2016

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 2 जून, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव,

Bhopal, the 2nd June 2016.

No. F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Tranist (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September, 2015, namely:—

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

[नंक 158]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 अप्रैल 2017 — चैत्र 21, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

सारणी में, प्रविष्टि (तिरपन) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वृक्ष का नाम (2)	प्रजाति का नाम (3)
(चौबन)	आकाश नीम	मेलिगटोनिया हॉर्टेन्सिस
(पचपन)	अगस्त	सिसवानिया ग्राण्डी फलोरा
(छप्पन)	नारियल	कोकस न्यूसीफेरा
(सतावन)	खजूर	फोइनिक्स सिल्वेरस्ट्रिस
(अठावन)	ताढ़	बोरासस फ्लेबीलाईपुर
(उनसठ)	पेपर मलबरी	ब्राउसेन्सिया पपेरीफेरा
(साठ)	पांजारा	एरिथ्रिना सबरोजा
(इक्सठ)	झादेशडा	प्वाईन्टियाना एलाटा
(बासठ)	कस्तार	अलबीजिया अमारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह धाकड़, सचिव,

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2017

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 11 अप्रैल 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र सिंह धाकड़, सचिव।

Bhopal, the 11th April 2017

No. F-30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Tranist (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the table, after the entry (liii) the following entries shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of Tree	Name of Species
(1)	(2)	(3)
(liv)	Akash Neem	Millingtonia hortensis
(lv)	August	Sesbania grandiflora
(lvi)	Narial	Cocos nucifera
(lvii)	Khajoor	Phoenix sylvestris
(lviii)	Tad	Borassus flabellifer
(lix)	Paper Mulberry	Broussonetia papyrifera
(lx)	Pajra	Erythrina Suberosa
(lxi)	Jhandesheda	Poinciana elata
(lxii)	Kastar	Albizia amara

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MAHENDRA SINGH DHAKAD, Secy.